

अनेवान काळूराम उर्फ रामप्रताप बनाम लहे

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.स. 60/25

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

पत्रावली फेजी में ली गई। शर्पी जरिये शक्तिशाली शर्पना पत्र 136 LRA में ध्ये कर शचित किया कि चक 23 LLW खाता सं. 91/55 में सं. 3 पर शर्पी का नाम काळूराम पुत्र रव्याली राम दर्ज रिकॉर्ड है जबकि शर्पी के अन्य दस्तावेजों में शर्पी का नाम ~~रामप्रताप~~ रामप्रताप पुत्र रव्याली राम अंकित है खलिय दोगे नामों के मध्य उर्फ लगाया जाकर रिकॉर्ड में नाम डुफली किये जाने का अनुलोष शचित किया। शर्पना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तदलील पत्रांक LR/2025/4123 दिनांक 23/4/25 द्वारा मौका Report प्राप्त जिलमे शर्पनापत्र में वर्जित लघो की पुष्टि होती है। सरपंच ग्राम पंचायत पक्का लदारणा नाय काळूराम व रामप्रताप एक ही व्यक्ति होने पुष्टि किया है शर्पी द्वारा सुस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। शर्पना पत्र स्वीकार कर तदलीलदार दृष्टांतर को आदेश है कि चक 23 LLW खाता सं. 91/55 में दर्ज खातेदार काळूराम पुत्र रव्याली राम की जाह काळूराम उर्फ रामप्रताप पुत्र रव्याली राम दर्ज कर नाम डुफली की जावे। जेष प्रविष्टिया यथापत रहे। आदेश सुनाया जाकर पत्रावली नंबर से काम की जाकर कासिव कपलर की जारी है।

सिलयक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हुमानगढ